

प्रेषक,

डा० सरोज कुमार,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,

हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय,

कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 02 अगस्त, 2019

विषय- विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मियों के दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 तक देय पुनरीक्षित वेतन के अवशेष 50% धनराशि की द्वितीय किश्त के भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में कार्यरत कर्मियों के दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 तक देय पुनरीक्षित वेतन के अवशेष की द्वितीय किश्त के भुगतान हेतु रु 65,50,000.00 (रुपये पैंसठ लाख पचास हजार मात्र) धनराशि की श्री राज्यपाल सहषे स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष में ही राजकीय कोषागार, कानपुर से आहरित कर आवश्यकतानुसार उपरोक्त मद पर ही व्यय किया जायेगा। किसी भी नई सेवा पर व्यय नहीं किया जायेगा। इस धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 'एच' के अधीन शासन को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा। इस मद में होने वाला अतिरिक्त व्यय भार विश्वविद्यालय द्वारा अपनी आय/बचत से वहन किया जायेगा।

3. प्रश्नगत धनराशियों के व्यय पर वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-5 भाग-1 के अध्याय-16 'ए' की शर्तें भी लागू होंगी।

4. प्रश्नगत धनराशियों की लेखा संपरीक्षा स्थानीय निधि लेखा परीक्षक से कराकर आख्या शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

5. स्वीकृत धनराशि अपर निदेशक, कोषागार, कानपुर मण्डल, कानपुर द्वारा बिल प्रतिहस्ताक्षरित कराकर आहरित कर व्यय की जायेगी। संबंधित कोषागार के बीजक एवं दिनांक की सूचना निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर तथा शासन को तत्काल भेजी जाय।

6. विश्वविद्यालय में आच्छादित कर्मियों को दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 तक पुनरीक्षित वेतन के अवशेषों का भुगतान वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-67/2016/वे०आ०-2-1447/दस-04(एम)/2016 दिनांक 22.12.2016, पत्र संख्या-05/2018/वे०आ०-2-330/दस-18 04(एम)/2016

दिनांक 18.05.2018 एवं पत्र संख्या-5/2019/वे०आ०-2-245/दस-2019-04(एम)/2016 दिनांक 03.06.2019 में निहित प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

7. स्वीकृत धनराशि का वय्य वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-47 के लेखाशीर्षक-2203-तकनीकी शिक्षा-112-इजीनियरी कालेज तथा संस्थान-05-हरकोट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर-53-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता) मद के नामे डाला जायेगा।

8. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019/231/2019, दिनांक 22.03.2019 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

( डा० सरोज कुमार )  
विशेष सचिव

संख्या:-53/2019/2568/सोलह-1-2019-9(बजट-1)/2011 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (लेखा), 30प्र०, प्रयागराज।
- (2) महालेखाकार (आडिट), 30प्र०, प्रयागराज।
- (3) जिलाधिकारी, कानपुर।
- (4) मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
- (5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र०, प्रयागराज।
- (6) निदेशक प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
- (7) वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, 30प्र०, कानपुर।
- (8) अपर निदेशक, कोषागार, कानपुर मण्डल, कानपुर।
- (9) वित्त (ई-11), अनुभाग-वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-1, 30प्र० शासन।
- (10) वित्त (वेतन आयोग), अनुभाग-2, 30प्र० शासन।
- (11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( अवध किशोर )  
उप सचिव।